13.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया अपस्थित।
पत्रावली सन् 2017 से तलबी में लंबित है
अधिवक्ता प्रार्थीया को तलबी पेश करने हेतु
अनेक अवसर प्रदान किये गये बावजूद इसके
अधिवक्ता प्रार्थीया ने नोटिस [illegible] पेश नहीं किये
गये। इससे स्पष्ट [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीया
अपने प्रार्थना पत्र के लेकर गम्भीर नहीं है अतः [illegible]
न्यायालय आदेश की अपालना में अदम तकमील [illegible] इस
रूप पर खारिज किया जाता है
पत्रावली [illegible] हुआ [illegible] से
[illegible] की जाये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:30:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)